पुलिस दूरसंचार संगठन म.प्र., भोपाल

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन (पुरुष/महिला)/आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर (पुरुष/महिला)/आरक्षक (एम.टी.) चालक पुरुष/आरक्षक (ट्रेडमेन) (पुरुष) की सीधी भर्ती विज्ञापन

1. पुलिस दूरसंचार शाखा में प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन/आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर/आरक्षक (एम.टी.) चालक/आरक्षक (ट्रेडमेन) सीधी भर्ती के पद रिक्त हैं, जिनको भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र शासकीय कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (10.00 बजे से 17.00 बजे तक) में **दिनांक 29 नवम्बर, 2010 से 29 दिसम्बर, 2010 तक** पुलिस रेडियो मुख्यालय, भदभदा रोड, भोपाल में आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

पद	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	योग
प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन (पुरुष/महिला) **10 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित**	42	02	10	67	121
आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर (पुरुष/महिला) **10 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित**	223	21	99	229	572
आरक्षक (ट्रेडमेन) **पुरुष**					
1. स्वीपर	04	00	00	05	09
2. धोबी	00	00	00	03	03
3. मोची	00	00	02	00	02
4. वॉटर केरियर	00	00	01	01	02
आरक्षक (एमटी) (चालक) **पुरुष**	00	02	02	03	07

उपरोक्त पदों में से 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिक, 15 प्रतिशत पद नगर सैनिकों एवं 10 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये **(आरक्षक (एमटी) चालक एवं आरक्षक (ट्रेडमन) को छोड़कर)** आरक्षित हैं। आरक्षण के लाभ के लिये नगर सैनिकों को तीन वर्ष की सेवा होना अनिवार्य है। भूतपूर्व सैनिकों तथा नगर सैनिक के लिए राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अध्याधीन रहते हुए रिक्तियाँ आरक्षित रखी जायेंगी। राज्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रकोष्ठ के परिपत्र क्रमांक- एफ/9-4/93/1/अ.प्र. दिनांक 19/08/1994 के अनुसार आरक्षण के अंतर्गत भरे जाने वाले पदों (भूतपूर्व सैनिक तथा स्वयं सेवी नगर सैनिक) को उसी जाति/वर्ग एवं समुदाय के आरक्षित प्रतिशत के अंतर्गत समायोजित किया जायेगा, जो जिस जाति/वर्ग एवं समुदाय का होगा। किसी भी स्थिति में संबंधित प्रवर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत अतिक्रमित नहीं होगा।

2. वेतनमान :- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-9/3/2003/नियम-4 दिनांक 13.04.2005 एवं क्रमांक-एफ-9/डी/2003/नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली प्रभावी होगी।

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन के लिये :- प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन के पद का वेतनमान रु. 5200 + 20200 + ग्रेड पे 2100 तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते तथा परिलब्धियाँ देय होंगी।

आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर के लिये :- आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर के पद का वेतनमान (रु. 5200 + 20200 + ग्रेड पे 1900) तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी।

आरक्षक (एमटी) चालक व आरक्षक (ट्रेडमेन) के लिये :- आरक्षक (एमटी) चालक व आरक्षक (ट्रेडमेन) के पद का वेतनमान (रु. 5200 + 20200 + ग्रेड पे 1900) तथा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होंगी।

3. भर्ती हेतु पात्रता एवं सामान्य शर्तें :-

(I) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये। (II) स्थानीय या प्रदेश के किसी भी रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 29 नवम्बर, 2010 से 90 दिन पूर्व का होना चाहिये। (III) उम्मीदवार का आचरण एवं पूर्ववृत्त अच्छा होना चाहिये। (IV) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन की अधिसूचना क्र. सी 3-3-2000/3/1 दिनांक 10.3.2000 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। अर्थात यदि पुरुष उम्मीदवार का विवाह उसकी 21 वर्ष आयु के पूर्व तथा महिला उम्मीदवार का विवाह उसकी 18 वर्ष आयु के पूर्व हो गया हो तो ऐसे उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य होंगे। (V) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन की अधिसूचना क्र. सी 3-3-2000/3/1 दिनांक 10.3.2000 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। अर्थात यदि किसी उम्मीदवार की तीन या अधिक संतानें जीवित हों जिनमें से तीसरी अथवा चौथी अथवा उसके बाद की किसी भी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो तो ऐसे उम्मीदवार शासकीय सेवा के अयोग्य होंगे। (VI) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक- एफ-10/3/2006/1/9 भोपाल दिनांक 6.2.2006 के अनुसार उम्मीदवार को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी अनिवार्य अर्हता है। यह नियम आरक्षक (एमटी) चालक व आरक्षक (ट्रेडमेन) पर लागू नहीं होगा।

4. आयु सीमा :-

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 को उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये/ अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा अपवादित होगी तथा इनके संबंध में अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों की संघ के सशस्त्र बलों में की गई सेवा अवधि को घटाने की अनुमति दी जावेगी एवं उसके फलस्वरूप जो उम्र आवेगी वह निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। मध्यप्रदेश शासन के अस्थाई एवं स्थाई कर्मचारियों की आयु सीमा 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। नगर सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु 36 वर्ष है। शासन आदेशों में पुलिस विभाग के लिये लागू अन्य आयु संबंधी छूट भी मान्य होगी।

(I) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यार्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष की छूट दी जावेगी। (II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। (III) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यार्थियों के मामले में भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी। (IV) ऐसे अभ्यार्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों या मंडलों के अधि./कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा में 36 वर्ष की आयु सीमा तक छूट दी जावेगी।

5. शैक्षणिक योग्यता :-

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन के लिये :- उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं बोर्ड परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, भोपाल से उत्तीर्ण होना चाहिये। **तथा**

रेडियो मैकेनिक/इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित आई.टी.आई. का प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त समकक्ष डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र होना चाहिये। **अथवा** समन्वय संचालनालय पुलिस वायरलेस (डी.सी.पी.डब्ल्यू.) नई दिल्ली द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम ग्रेड-2 उत्तीर्ण हो एवं दो वर्ष का कार्यानुभव।

स्पष्टीकरण :- शासन के निर्देशानुसार उम्मीदवार का हायर सेकेण्डरी या स्नातक परीक्षा मध्यप्रदेश स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि किसी पद के लिये हायर सेकेण्डरी से नीचे की योग्यता निर्धारित हो तो उसकी परीक्षा भी मध्यप्रदेश के विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए।

आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर के लिये :- आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर के पद पर सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवार को दसवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। विज्ञान तथा गणित में उम्मीदवार को दक्ष होना चाहिये।

स्पष्टीकरण :- शासन के निर्देशानुसार उम्मीदवार का हायर सेकेण्डरी या स्नातक परीक्षा म.प्र. स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि किसी पद के लिये हायर सेकेण्डरी से नीचे की योग्यता निर्धारित हो तो उसकी परीक्षा भी मध्यप्रदेश के विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिये।

आरक्षक (एमटी) चालक व आरक्षक (ट्रेडमेन) के लिये :- आरक्षक (एमटी) चालक एवं आरक्षक (ट्रेडमेन) के पद पर सीधी भर्ती के लिये उम्मीदवार को दसवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। किन्तु अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा पास होने पर ही पात्रता प्राप्त हो जावेगी।

स्पष्टीकरण :- शासन के निर्देशानुसार उम्मीदवार का हायर सेकेण्डरी या स्नातक परीक्षा म.प्र. स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि किसी पद के लिये हायर सेकेण्डरी से नीचे की योग्यता निर्धारित हो तो उसकी परीक्षा भी मध्यप्रदेश के विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिये।

6. शारीरिक मापदण्ड:- उम्मीदवारों का शारीरिक मापदण्ड निम्नानुसार होगा :-

	ऊंचाई	सीना (बिना फुलाये)	सीना (फुलाने पर)
(I) पुरुष सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये	168 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
(II) पुरुष- अनुसूचित जनजाति के लिये	158 से.मी.	76 से.मी.	81 से.मी.
(III) महिलाओं के लिये	158 से.मी.	-	-

नोट :- (I) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यूनतम निर्धारित माप से यदि किसी उम्मीदवार के सीने का माप अधिक होगा तो उस माप से सीने को कम से कम 05 से.मी. फुलाना अनिवार्य होगा।
(II) महिलाओं के लिये सीने का कोई मापदण्ड नहीं होगा।
(III) उम्मीदवारों का शरीर किसी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। तलवे समतल अथवा घुटने मिले हुए नहीं होना चाहिए।

7. दृष्टि :- उम्मीदवारों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिये तथा आंखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 से कम एवं दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के 6/12 से कम नहीं होना चाहिये। मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया :- जिन आवेदकों के आवेदन-पत्र वांछित अर्हताओं के अनुरूप पाये जायेंगे एवं जो उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक नाप-जोख में उपयुक्त पाये जायेंगे उन्हें शारीरिक प्रवीणता परीक्षा तथा सफल होने पर अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

8. चयन परीक्षा निम्नलिखित क्रम से ली जावेगी :-

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा :- सभी उम्मीदवार दिनांक 7 जनवरी 2011 को पुलिस रेडियो लाईन, भदभदा रोड, भोपाल में उपस्थित होंगे, जहाँ सभी उम्मीदवारों की शारीरिक प्रवीणता परीक्षा ली जावेगी। ऐसे उम्मीदवार जो अपना आवेदन-पत्र डाक द्वारा प्रेषित करेंगे वो दिनांक 7 जनवरी, 2011 को मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होंगे ऐसे सभी उम्मीदवारों को शारीरिक नाप-तौल एवं मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जावेगी। उम्मीदवारों की आयु, शैक्षणिक योग्यता जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण मूल प्रमाण-पत्रों से किया जावेगा तथा पूर्ण रूप से सही पाये जाने पर अभ्यार्थी का मापतौल किया जावेगा। शारीरिक मापतौल में योग्य पाये जाने वाले सभी उम्मीदवारों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट किया जावेगा, जिसके आइटम निम्नानुसार होंगे :-

आइटम	क्वालीफाइंग योग्यता	
	पुरुष वर्ग	महिला वर्ग
(I) 100 मीटर दौड़	15 सेकण्ड	17 सेकण्ड
(II) 800 मीटर दौड़	3 मिनट	3 मिनट 45 सेकेण्ड
(III) लम्बी कूद	4 मीटर	2.7 मीटर
(IV) ऊंची कूद	1 मीटर 10 से.मी.	90 से.मी.

नोट- (I) रेडियो पुलिस लाइन भदभदा रोड, भोपाल के ग्राउण्ड पर शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उपरोक्त आईटमों में दिनांक 7 जनवरी, 2011 को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्याप्त रोशनी की अवस्था में होगी।

(II) उम्मीदवारों को 4 आयटम में से कोई भी 3 आयटम क्वालीफाई करना अनिवार्य होगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में कोई अंक निर्धारित नहीं हैं। मेरिट सूची में शारीरिक प्रवीणता के कोई अंक नहीं जोड़े जावेंगे।

9. लिखित परीक्षा/ट्रेड टेस्ट :- शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में क्वालीफाई करने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा/ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित किया जावेगा।

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन के लिये :-

लिखित परीक्षा :- दिनांक 18 जनवरी, 2011 से पुलिस रेडियो लाईन, भदभदा रोड, भोपाल में होगी। जो 200 अंकों की होगी। आवेदक को पेन साथ में लाना होगा। प्रश्न-पत्रों का पैटर्न निम्नानुसार होगा।

(अ) **प्रथम प्रश्न-पत्र :-** बेसिक इलेक्ट्रीसिटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स - कुल अंक 150।

(इलेक्ट्रीसिटी, बैटरी, डी.सी., ए.सी. सर्किट, ट्रांजिस्टर एवं वाल्व, एम्पलीफायर्स, मोटर जनरेटर्स)

(ब) **द्वितीय प्रश्न-पत्र :-** हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का निबन्ध - कुल अंक 50

(हिन्दी निबन्ध - 30 अंक, अंग्रेजी निबन्ध - 20 अंक)

आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर के लिये :-

(I) लिखित परीक्षा :- दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्रातः 08.00 बजे होगी जो 200 अंकों की होगी।

1. अंग्रेजी में डिक्टेशन और हैंड राइटिंग टेस्ट	50 अंक
2. गणित, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान	150 अंक

आरक्षक (एमटी) चालक व आरक्षक (ट्रेडमेन) के लिये ट्रेड टेस्ट :-

(I) जो उम्मीदवार अर्हताएं पूरी करते हैं, उनके ट्रेड टेस्ट से संबंधित टेस्ट, समिति द्वारा लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के लिये 200 अंक निर्धारित होंगे। ट्रेड टेस्ट में सफलता प्राप्त करने के लिये सामान्य जाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(अ) आरक्षक (ट्रेडमेन) के लिये ट्रेड टेस्ट दिनांक 19 जनवरी, 2011

(ब) आरक्षक (एमटी) चालक के लिये ट्रेड टेस्ट दिनांक 20 जनवरी, 2011

नोट (1) :- उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये दोनों प्रश्न-पत्रों में अलग-अलग सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण माना जायेगा।

(प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन तथा आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर के लिये)

(2) लिखित परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

10. साक्षात्कार :-

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन/आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर के लिये :-

(अ) प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन/आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर की भर्ती के लिये निर्मित चयन समिति के द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक 24 जनवरी, 2011 को लिया जावेगा, जिसके 25 अंक निर्धारित हैं। साक्षात्कार व्यक्तित्व/अभिव्यक्ति, संबोधन, खेलकूद एवं सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर लिया जावेगा।

(I) आरक्षक (ट्रेडमेन) के लिये साक्षात्कार **दिनांक 22 जनवरी, 2011**

(II) आरक्षक (एमटी) चालक के लिये साक्षात्कार **दिनांक 22 व 23 जनवरी 2011**

(1) बोनस अंक :- बोनस अंक निम्नानुसार दिये जावेंगे

1.	टाइपिंग ज्ञान	5 अंक
2.	खेलकूद में प्रवीणता	5 अंक
3.	कम्प्यूटर ज्ञान	5 अंक
4.	एन.सी.सी. "सी" प्रमाण-पत्रधारी	5 अंक
5.	होमगार्ड सैनिक के रूप में 1, 2, 3, 4 या 5 वर्ष की पूर्ण सेवा होने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 अंक बोनस दिये जावेंगे	

प्रधान आरक्षक (रेडियो) तकनीशियन/आरक्षक (रेडियो) ऑपरेटर/आरक्षक (एमटी) चालक/आरक्षक (ट्रेडमेन) के लिये बोनस अंक हेतु महत्वपूर्ण नोट :-

(अ) 03 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले नगर सैनिकों को नगर सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ब) वे उम्मीदवार खेलकूद में दक्ष माने जाकर बोनस अंक के हकदार माने जावेंगे, जिन्होंने अपने विद्यालय/कॉलेज का कम से कम संभाग स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्यता के रूप में पिछले तीन वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुये टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो।

(स) वे उम्मीदवार कम्प्यूटर ज्ञान में दक्ष माने जाकर बोनस अंक के हकदार माने जावेंगे जिन्होंने मध्यप्रदेश शासन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का "ओ" लेवल कम्प्यूटर कोर्स किया हो।

(द) टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनिट स्पीड का मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही बोनस अंकों

की पात्रता होगी।

11. चरित्र सत्यापन :- नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व शासन आदेशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। यदि कोई उम्मीदवार चरित्र सत्यापन फार्म में कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाता है अथवा कोई गलत जानकारी देता है तो वह सेवा के अयोग्य ठहराया जावेगा और उसे नियुक्ति नहीं दी जावेगी तथा यदि यह तथ्य सेवा में नियुक्ति के बाद उजागर होता है तो उसे बिना कोई अन्य नोटिस दिये सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। चरित्र सत्यापन विपरीत होने पर नियुक्ति तथा सेवा में बने रहने की पात्रता नहीं होगी और ऐसे चयनित व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा दिया जावेगा।

12. स्वास्थ्य परीक्षण :- उम्मीदवार को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

13. यात्रा किराया :- उम्मीदवार की शारीरिक प्रवीणता टेस्ट/लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने पर केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जावेगा।

14. सामान्य निर्देश :- (I) आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में शैक्षणिक योग्यता/जाति प्रमाण-पत्र/रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के साथ मय 2 पासपोर्ट साईज की श्वेत-श्याम फोटो सहित दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो) कार्यालय, भदभदा रोड, भोपाल में जमा करना होगा। स्थाई जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय किया गया ही मान्य होगा। अधूरे या अपूर्ण आवेदन-पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे।

(II) सभी उम्मीदवार अपने जाति का उल्लेख अपने आवेदन-पत्र पर लाल स्याही से करेंगे।

(III) आवेदक अपना आवेदन-पत्र स्वयं उपस्थित होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो) कार्यालय भदभदा रोड, भोपाल में जमा करा सकेंगे अथवा डाक द्वारा भी प्रेषित किये जा सकेंगे। जो उम्मीदवार स्वयं उपस्थित होकर अपना आवेदन-पत्र जमा करायेंगे उनके अर्हता संबंधी दस्तावेजों की जांच कर ली जावेगी। जिन उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र डाक से प्राप्त होंगे वे सभी उम्मीदवार दिनांक 07 जनवरी 2011 को रेडियो पुलिस लाईन, भदभदा रोड, भोपाल में उपस्थित होंगे जहाँ पर उनका शारीरिक माप-तौल एवं अर्हता संबंधी दस्तावेजों की जाँच की जाकर रोल नम्बर आवंटित किये जावेंगे।

(IV) डाक द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों के साथ उम्मीदवार स्वयं का पूर्ण व स्पष्ट पता लिखा हुआ एक पोस्टकार्ड संलग्न कर भेजेंगे ताकि उन्हें आवेदन-पत्र की प्राप्ति की सूचना उनके पते पर भेजी जा सके।

(V) लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में "**आवेदित पद का नाम**" लिखा होना चाहिए।

(VI) आवेदित पद की योग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(VII) विज्ञापित रिक्त पदों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(VIII) चयनित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जा सकेगा। चयनित उम्मीदवारों को गृह जिले में पदस्थापना की पात्रता नहीं होगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो)
मध्यप्रदेश, भोपाल

आवेदन-पत्र

हाल ही में खिंचवाया हुआ श्वेत-श्याम बिना रंगीन चश्मा लगाया हुआ पासपोर्ट साईज का फोटो यहां पर चिपकायें। फोटो पर इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि आधा हस्ताक्षर फोटो पर तथा आधा हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर आवे।

प्रति,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो)
मध्यप्रदेश भोपाल

1. पद का नाम जिसके लिये आवेदन पत्र है ....
(यदि एक से अधिक पदों के लिये आवेदन किया जा रहा है तो सभी का नाम लिखें केवल उन्हीं पदों के लिये विचार होगा जिनका उल्लेख किया गया है।)
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)..
(अंग्रेजी (केपिटल लेटर) में..
3. पिता का नाम (हिन्दी में) ....
अंग्रेजी (केपिटल लेटर) में..
4. जन्मतिथि (अंकों में)..
शब्दों में..(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. आयु (दिनांक 29.12.2010 को)................................वर्ष.....................माह.........................दिन
6. लिंग (पुरुष/महिला)..
7. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)..
8. वर्तमान पता..
9. स्थायी पता..
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक.................दिनांक..................स्थान ....
11. क्या आप म.प्र. शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं? यदि हां तो अपनी जाति का स्पष्ट उल्लेख करें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें).......................
12. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें........................
13. यदि आप होमगार्ड के सैनिक हैं/रह चुके हैं यदि हां तो जिला सेनानी होमगार्ड का संतोषजनक सेवा की अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें ....
14. (1) क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में अपने जिला/संभाग का प्रतिनिधित्व किया है, ...
(2) क्या आप टाइपिंग में दक्ष हैं?..
(3) क्या आप मोटर वाहन (हल्के व भारी वाहन) चलाने का लायसेंस रखते हैं?....................................
(4) क्या आप कम्प्यूटर विज्ञान में दक्षता रखते हैं?..
(5) क्या आप एन.सी.सी. "सी" प्रमाण-पत्रधारी हैं?..

(यदि उपरोक्त विन्दुओं 1 से 5 तक में से किसी का भी उत्तर हाँ हो तो उसका प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

15. क्या आप शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा म.प्र. राज्य निगम/मण्डल के स्थाई/अस्थाई कर्मचारी हैं, तो उसका पूरा विवरण लिखें तथा अपने नियुक्ति अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। ....
16. क्या आप किसी शासकीय सेवा के लिये मेडिकल बोर्ड या अन्य विधिवत नियुक्त मेडिकल अथार्टी द्वारा अयोग्य ठहराये गये हैं, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें। ....
17. क्या आप पर कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है या आप किसी अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किये गये हैं, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें..
18. क्या आप पर कभी अभियोजन किया गया है या किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें..
19. विवाहित होने की दशा में विवाह की तिथि..
20. उम्मीदवार के दो से अधिक संतान होने की स्थिति में अंतिम संतान की जन्म तिथि..................................

घोषणा-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त वर्णित जानकारी जहां तक मुझे पता है और जहां तक मुझे विश्वास है, सही और पूर्ण है, ऐसी किसी भी परिस्थितियों से मैं अवगत नहीं हूं, जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने पर मेरी उपयुक्तता क्षीण होगी।

संलग्न- प्रमाण पत्रों का विवरण एवं संख्या :-

1. आयु एवं शैक्षणिक योग्यता
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र।
3. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
4. दो श्वेत-श्याम फोटो।
5. अन्य प्रमाण पत्र जो अपनी योग्यता के संबंध में प्रस्तुत करना चाहें।
6. अनापत्ति प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)।
7. होमगार्ड सेवा का प्रमाण पत्र अथवा सेना की सेवा का प्रमाण पत्र।
8. स्वयं का पूर्ण व स्पष्ट पता लिखा पोस्टकार्ड (आवश्यकतानुसार)।

नोट- सभी प्रमाण पत्र प्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित होने चाहिये।

दिनांक ....
स्थान .... **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**